प्रबन्ध परिषद् की छठवीं बैठक का कार्यवृत्त

(Minutes of 6th Meeting of the Board of Management)

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार की प्रबन्ध परिषद् की छठवीं बैठक दिनांक 27 जून, 2018 को होटल इन्द्रलोक, राजपुर रोड, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रबन्ध परिषद् के अध्यक्ष प्रो0 सी0एम0 शर्मा द्वारा की गई।

प्रबन्ध परिषद् की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:–

1.	प्रो0 सी0 एम0 शर्मा, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि, श्री प्रकाश तिवारी, अनुसचिव, वित्त)	–	सदस्य
3.	सचिव, कृषि एवं कृषि शिक्षा उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि उपसचिव, कृषि विभाग)	–	सदस्य
4.	डा0 पी0 के0 मिश्रा, निदेशक भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान (आई0सी0ए0आर0 प्रतिनिधि)	–	सदस्य
5.	डा0 कमल सिंह, पशुधन प्रजनक पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाईव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, देहरादून	–	सदस्य
6.	श्री विजय सिंह जड़धारी, प्रगतिशील किसान	–	सदस्य
7.	डा0 एम0 सी0 नौटियाल, जाने माने उद्योगपति या उत्पादक	–	सदस्य
8.	डा0 अरविन्द शुक्ला, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक	–	सदस्य
9.	सुश्री रंजना रावत, उल्लेखनीय महिला सामाजिक कार्यकर्ता	–	सदस्य
10.	डा0 राजेश भल्ला अधिष्ठाता, औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार	–	सदस्य
11.	वित्त नियंत्रक, वी.च.सिं.ग.उ.औ.एवं वा.वि.वि., भरसार	–	सदस्य
12.	डा0 एस0पी0 सती, कुलसचिव	–	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा सभी उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके उपरान्त कुलपति महोदय की आज्ञा पर कुलसचिव द्वारा कार्यसूची (Agenda) के प्रस्तावों को एक–एक कर प्रबन्ध परिषद के सम्मुख विचारार्थ रखा गया।

प्रस्ताव सं0 2018:06:02 **दिनांक 26 फरवरी, 2018 को सम्पन्न प्रबन्ध परिषद् की पांचवी बैठक के कार्यवृत्त/ पारित संकल्प पर की गई कार्यवाही की समीक्षा।**

मा0 प्रबन्ध परिषद् की छठवीं बैठक में मा0 प्रबन्ध परिषद् की पांचवी बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2018 के सभी कार्यवृत्तों पर सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव सं0 2018:06:03 नियुक्तियों के संबंध में प्रस्ताव

क्रम संख्या	विषय
06:03	Advertisement Notice No. UUHF/DT/F.No.01/01 of 2016, दिनांकित 15.10.2016 को जारी रिक्ति विज्ञापन के सापेक्ष वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्राध्यापकों/सह–प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों वेतनमान रु0 37400–67000; एजीपी–10000/9000 एवं रु0 15600–39100; एजीपी–6000 के क्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा महामहिम कुलाधिपति/श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड को भेजे गये विषय विशेषज्ञों के पैनल एवं राजभवन के पत्र संख्या 2893/जी0एस0/शिक्षा/C13-3/2017, दिनांकित 06.11.2017 द्वारा अनुमोदित चयन समिति/विषय विशेषज्ञों की कार्योत्तर स्वीकृति एवम् साक्षात्कारोपरान्त चयनित प्राध्यापकों/सह–प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों के मुहरबंद परिणामों के अनुमोदन एवं घोषणा किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

उपरोक्त प्रस्ताव क्रम संख्या 06:03 पर सीधी भर्त्ती के पदों हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों पर चयन हेतु परिनियमों के अनुसार नियमित चयन समितियाँ गठित की गई। जिसमें चयन समिति हेतु भेजे गये विषय विशेषज्ञों के पैनल में से श्री राज्यपाल महोदय/महामहिम कुलाधिपति द्वारा नामित विशेषज्ञ सम्मिलित थे। इस प्रकार विभिन्न विषयों में प्राध्यापकों वेतनमान रु0 37400–67000; एजीपी– 10000; सह–प्राध्यापकों वेतनमान रु0 37400–67000; एजीपी– 9000 एवं सहायक प्राध्यापकों वेतनमान रु0 15600–39100; एजीपी –6000 के पदों पर चयन समितियों द्वारा संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों के नाम तथा वरिष्ठता क्रम की सूची मुहरबन्द लिफाफे में सुरक्षित रखे गये थे। इन मुहरबन्द लिफाफों को मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों की अनुमति के उपरान्त मा0 प्रबन्ध परिषद् के समक्ष खोला गया। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विषयवार निम्नानुसार है–

पदनाम	महाविद्यालय का नाम	लिफाफा संख्या	चयनित किये गए अभ्यर्थी का नाम
Assistant Professor (Forestry with specialization in Silviculture)	वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	18	Mr. Indra Singh

Assistant Professor (Forestry with specialization in Silviculture)	वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	19	Sneha Dobhal
Professor (Forestry with specialization in Silviculture)	वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	20	Dr. Vinod Prasad
Assistant Professor (Horticulture with specialization in Fruit Science)	औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार	21	Dr. Manju
Assistant Professor (Horticulture with specialization in Fruit Science)	औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार	22	Dr. Vijay Kumar
Assistant Professor (Forestry with specialization in Tree Improvement)	वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	23	Dr. Rajander Singh

प्रस्ताव सं0 2018:06:04 **कुलसचिव, वीर चन्द्र सिंह गढवाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।**

महामहिम राज्यपाल के सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 04.04.2018 को सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपालन में संयुक्त सचिव श्री राज्यपाल द्वारा पत्र संख्या 149/जी0एस0/शिक्षा/C13-5(II)/2018, दिनांक 11 अप्रैल 2018 के माध्यम से विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है कि कुलसचिव पद हेतु चयन समिति के प्रारूप को निर्धारित करते हुए उसे विधिवत प्रबंध परिषद् में पारित करवाकर परिनियमों में संशोधन हेतु नियमानुसार मा0 कुलाधिपति जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। उक्त पत्र में यह भी व्यक्त किया गया कि चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में कुलपति के अतिरिक्त दो संकायाध्यक्ष, महामहिम कुलाधिपति की ओर से नामित एक सदस्य तथा राज्य सरकार से नामित एक सदस्य को रखा जा सकता है। दिनांक 04.04.2018 को सम्पन्न बैठक में यह भी अपेक्षा की गई कि विश्वविद्यालय में इस प्रकार नियुक्त कुलसचिव की अधिकतम सेवा सीमा तीन वर्ष हो।

प्रस्ताव पर माननीय प्रबंध परिषद् ने सहमति व्यक्त की है।

प्रस्ताव सं0 2018:06:05 **अवर अभियन्ता ग्रेड वेतन 4200 एवम् ग्रेड वेतन 2800 के कुल 10 पदों की शैक्षिक योग्यता परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय की सेवा नियमावली में अवर अभियन्ता ग्रेड वेतन 4200 के 05 पद एवं 2800 ग्रेड वेतन के 05 पद सीधी भर्ती के दर्शाये गये हैं। इन पदों में सारे 10 पदों की शैक्षिक योग्यता एक समान (किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा) दर्शायी गई है। जबकि उक्त 10 पदों में से 05 पदों हेतु शैक्षिक योग्यता अवर अभियन्ता विद्युत (शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा) होनी चाहिए थी। जबकि विश्वविद्यालय सेवा नियमावली में 10 पद अवर अभियन्ता सिविल के ही दर्शाये गये हैं।

उक्त के क्रम में मा0 प्रबन्ध परिषद् ने 05 पद सिविल (शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा) 03 पद इलैक्ट्रीकल (शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से विद्युत इंजीनियरिंग मे डिप्लोमा); एवं 02 पद Information Technology/ Computer Science (शैक्षिक योग्यता Diploma in Computer/Computer Science or Diploma in Information technology) किए जाने के साथ ही अपनी सहमति व्यक्त की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:06 **विश्वविद्यालय की सेवा नियमावली में फार्मेसिस्ट के पद की शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में।**

श्रीमती आकांक्षा उनियाल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06.2018 के माध्यम से अवगत कराया है कि विश्वविद्यालय की सेवा नियमावली में फार्मेसिस्ट के पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इण्टरमीडिएट विज्ञान के साथ फार्मेसी में डिप्लोमा रखा गया है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इस पद हेतु शैक्षिक योग्यता फार्मेसी में डिप्लोमा अथवा डिग्रीधारक दोनों है। उनके द्वारा भारत सरकार के उपक्रम द्वारा जारी विज्ञापन भी संलग्न किया है।

मा0 प्रबन्ध परिषद् द्वारा बी0फार्मा डिग्री धारकों को भी फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति हेतु योग्य मानते हुए इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:07 **विश्वविद्यालय की दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को सम्पन्न प्रबंध परिषद् की तृतीय बैठक के प्रतिपूरक कार्यसूची प्रस्ताव संख्या 2016:03:10(4) (संलग्नक–3) के संबंध में प्रबंध परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया था कि सहायक प्राध्यापक (संविदा) तथा अन्य संविदा पर कार्यरत अध्यापकों को केवल जून 2018 तक ही आवश्यकतानुसार रखा जाए, तथा इस दौरान नियमित भर्ती की प्रक्रिया संपन्न कर ली जाए। इस संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में नियमित भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत कुछ नये सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति कर ली गई है तथा विज्ञापित अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा। उक्त के क्रम में प्रस्तावित है कि गतिमान नियमित भर्ती प्रक्रिया के मध्यनजर शिक्षण कार्यों के सुचारू संचालन हेतु सहायक प्राध्यापक (संविदा) तथा अन्य संविदा पर कार्यरत अध्यापकों को 31 दिसम्बर 2018 अथवा पदों को भरे जाने तक (जो भी पहले हो) रखे जाने की अनुमति माननीय प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रदान कर दी जाय ताकि विश्वविद्यालय के शिक्षण कार्य बाधित न हों।**

उपरोक्त प्रस्ताव पारित करते हुए मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहायक प्राध्यापक (संविदा) तथा अन्य संविदा पर कार्यरत अध्यापकों को 31 दिसम्बर 2018 अथवा पदों को भरे जाने(जो भी पहले हो)तक रखने की अनुमति प्रदान की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:08

दिनांक 11.06.2018 एवं 12.06.2018 को शेर–ए–कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में 25वीं आई0सी0ए0आर0 रीजनल कमेटी सं0 1 की सम्पन्न हुई बैठक में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के महानिदेशक एवं अतिरिक्त सचिव द्वारा निर्देशित किया गया है कि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों (भरसार एवं रानीचौरी) तथा ए0आई0सी0आर0पी0 परियोजनाओं में जो भी पद रिक्त हैं उन पर यथाशीघ्र विश्वविद्यालय नियुक्ति कर दे। नियुक्तियाँ न होने की स्थिति में कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं ए0आई0सी0आर0पी0 परियोजनाओं को बन्द भी किया जा सकता है।

अतः विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों (भरसार एवं रानीचौरी) एवं ए0आई0सी0आर0पी0 परियोजनाओं में जो भी पद रिक्त हैं, उन पर माननीय प्रबन्ध परिषद् द्वारा यथाशीघ्र नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं0 2018:06:9

विश्वविद्यालय में प्रारंभिक स्तर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ, जो किसी दूसरे संस्थान में नियुक्ति हेतु उचित माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं से सम्बन्धित।

विश्वविद्यालय में प्रारंभिक स्तर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ, जो किसी दूसरे संस्थान में नियुक्ति अथवा उच्च शिक्षा हेतु उचित माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, उनके आवेदन पत्र 03 वर्ष की नियमित सेवा के उपरांत ही अग्रसारित किए जाएंगे। यदि कोई नियमित सहायक प्राध्यापक एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ 03 वर्ष की सेवा से पूर्व किसी अन्य संस्थान में सेवा हेतु या उच्च शिक्षा हेतु जाना चाहते हैं तो उनको अपने अन्तिम 03 माह का वेतन विश्वविद्यालय में जमा करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

इस प्रस्ताव को पारित करते हुए मा0 प्रबन्ध परिषद् ने उपरोक्त प्राविधान पर सहमति व्यक्त की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:10

डॉ0 उमेश चन्द लोहानी के सह–प्राध्यापक, Food Process Engineering/Food Engineering पद पर योगदान देने की तिथि को आगे बढाने का प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सामान्य योगदान देने हेतु प्राविधानित समय एक माह के अतिरिक्त डा0 लोहानी को 06 माह का अतिरिक्त समय देने के लिए उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:11 **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के प्रथम दीक्षांत समारोह के आयोजन के सम्बन्ध में।**

उक्त प्रस्ताव के क्रम में प्रबंध परिषद् को अवगत कराया गया कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में बीएससी औद्यानिकी एवं बीएससी वानिकी के 2 बैच एवं एमएससी औद्यानिकी एवं वानिकी के 04 बैच पास हो चुके हैं परंतु अभी तक विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन नहीं हो पाया है।

अतः विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के आयोजन के साथ–साथ प्रति वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजन किए जाने के प्रस्ताव को पारित करते हुए मा0 प्रबन्ध परिषद् ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:12 **विश्वविद्यालय में पी0एच0डी0 प्रोग्राम शुरू किए जाने के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय में प्रारम्भिक चरण में विभिन्न विषयों जैसे सिल्वीकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रॉडक्ट्स एण्ड यूटीलाईजेशन, ट्री इम्प्रूवमेंट, फॉरेस्ट इकोलॉजी एण्ड वाईल्ड लाईफ मैनेजमेंट, वेजीटेबल साईंस, फ्लोरीकल्चर एण्ड लेंडस्कैप आर्किटेक्चर तथा फ्रुट साईंस विषयों में पीएचडी प्रोग्राम शुरू किए जाने के प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति व्यक्त की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:13 **पंजीकरण होने से पूर्व आवंटित सीट को सरेंडर/समर्पण करने वाले छात्रों को शुल्क (फीस) वापसी का प्राविधान।**

विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को जिन्होंने अपने पंजीकरण करने से पूर्व उनको आवंटित सीट को सरेंडर/समर्पण कर दिया हो को शुल्क वापसी का प्राविधान किया जा सकता है। परंतु यदि कोई छात्र पंजीकरण करने के बाद आवंटित सीट को सरेंडर/समर्पण करता है तो उसे केवल जमानती रकम (कॉशन मनी) ही वापस की जाएगी।

उपरोक्त प्रस्ताव पारित करते हुए मा0 प्रबन्ध परिषद् ने इस प्रकरण पर सहमति व्यक्त की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:14 **विश्वविद्यालय में नए विभागों के सृजन के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों द्वारा पांचवीं डीन कमेटी के आधार पर वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी में "बेसिक एण्ड सोशल साईंस" विभाग (Basic and Social Science Department) के सृजन के प्रस्ताव को पारित करते हुए मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति व्यक्त की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:15 **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के अन्तर्गत निजी महाविद्यालयों की सम्बद्धता विषयक।**

कुछ निजी महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु अनुरोध किया गया है (अनुरोध पत्र सदन पटल पर प्रस्तुत)। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2014 के पैरा 26(एक) एवम् (दो) के अनुसार "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के दिशा–निर्देशों के तहत विश्वविद्यालय किसी भी महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता प्रदान नहीं कर सकेगा। विश्वविद्यालय केवल कॉन्स्टीट्यूएन्ट कॉलेजों की स्थापना कर सकेगा।"

इसके अतिरिक्त महामहिम कुलाधिपति एवं राज्यपाल उत्तराखण्ड द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कि जब तक राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में कोई ठोस नियमावली नहीं बनाई जाती है तब तक इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय निजी महाविद्यालयों को कोई सम्बद्धता प्रदान नहीं कर सकेगा।

उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए माननीय प्रबंध परिषद् ने उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय परिनियमावली 2014 के पैरा 26(01) एवं (02) के अनुरूप सम्बद्धता प्रदान न करने पर सहमति प्रदान की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:16 **विश्वविद्यालय द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यगणों को मा0 प्रबन्ध परिषद् की बैठकों में प्रतिभाग के फलस्वरूप मानदेय दिए जाने के सम्बन्ध में।**

मा0 प्रबन्ध परिषद् के पदेन सदस्यों को छोडकर अन्य सदस्यों को मा0 प्रबन्ध परिषद् की बैठकों में प्रतिभाग के करने हेतु मानदेय राशि रू0 5000.00 (रू0 पॉच हजार मात्र) प्रति बैठक (गो0ब0 पन्त कृ0प्रौ0वि0वि0, पन्तनगर की प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों के अनुसार) अनुमन्य करने का प्रस्ताव प्रस्तुत। अतः मा0 प्रबन्ध परिषद् की बैठक में पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों के उपस्थित होने तथा विचार–विमर्श में भाग लेने हेतु सिटिंग चार्जेज/मानदेय के रूप में रु. 5000.00 (रुपया पांच हजार मात्र) प्रति बैठक दिए जाने के प्रस्ताव को पारित करते हुए मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति व्यक्त की एवं इस मानदेय को प्रबन्ध परिषद् की छंठवीं बैठक से ही लागू करने हेतु निर्देशित किया।

प्रस्ताव सं0 2018:06:17 विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों/केन्द्रों/योजनाओं/परियोजनाओं का वित्तीय वर्ष 2016–17 व 2017–18 के आय–व्ययक/वित्तीय विवरण का प्रतिवेदन। वित्त समिति द्वारा प्रतिवेदन का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। अतः इस प्रकरण पर

सम्यक् विचारोपरांत प्रबन्ध परिषद् ने भी अपना अनुमोदन प्रदान किया। प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति भी व्यक्त की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:18 विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन कार्यो की अद्यतन वर्षवार भौतिक प्रगति एवं वित्तीय विवरण के प्रतिवेदन पर वित्त समिति ने पुष्टिकरण कर सहमति प्रदान की है। प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति व्यक्त की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:19 विश्वविद्यालय के विभिन्न संसाधनों स्रोतो से वित्तीय वर्ष 2016–17 व 2017–18 तक विगत वर्षो सहित प्राप्त आय एवं अवशेष/बचत धनराशि के विवरण का प्रतिवेदन। वित्तीय विवरण मा0 प्रबन्ध परिषद् के अवलोकनार्थ/विचारार्थ रखा गया जिस पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने वित्त समिति द्वारा प्रतिवेदन का अवलोकन कर अनुमोदित किए गये प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने भी अनुमोदन प्रदान किया।

प्रस्ताव सं0 2018:06:20 वित्तीय वर्ष 2016–17 में महाविद्यालय भरसार के 20–सहायक अनुदान/अंशदान के विभिन्न उपमदों में प्राप्त आय बचत से रू0 477764.00 एवं 2017–18 में महाविद्यालय भरसार में 20–सहायक अनुदान/अंशदान के उपमद मजदूरी पर किये गये धनराशि रू0 3399068.00 एवं वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी द्वारा 20–सहायक अनुदान के विभिन्न उपमदों में वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 43,12,000.00 —— वर्ष 2017–18 में रू0 49,95,000.00 के व्यय धनराशि पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया। अतः उपरोक्त व्यय प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति व्यक्त की।
बचतों को वेतन देने हेतु उपयोग करने के प्रस्ताव पर मा0 प्रबंध परिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया। किन्तु शासन से वेतन धनराशि जारी होने पर पुनः उसे वापस करने के प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति व्यक्त की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:21 **विश्वविद्यालय के समस्त नियमित कार्मिकों को शासनादेश के अनुसार 7वें वेतनमान लागू किये जाने की स्वीकृति तथा एरियर भुगतान का प्रस्ताव मा0 प्रबंध परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

विश्वविद्यालय वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त नियमित कार्मिकों को प्रस्तावित शासनादेश के अनुसार 7वें वेतनमान लागू किये जाने तथा एरियर का भुगतान किए जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुति हेतु प्रस्तुत किया गया था। मा0 प्रबन्ध परिषद् ने शासनादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय में 7वें वेतनमान लागू करने तथा उक्तानुसार एरियर भुगतान किये जाने पर सहर्ष सहमति व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि इस प्रकरण पर शासन से भी अनुमति ले ली जाय।

प्रस्ताव सं0 2018:06:22 विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति महोदय प्रो0 मैथ्यू प्रसाद के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के देयक रू0 173376.00 के भुगतान को वित्त समिति की अनुशंसा के उपरांत मा0 प्रबंध परिषद ने भी सहमति प्रदान की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:23 चक्रीय निधि खातों का संचालन सम्बन्धित महाविद्यालय के अधिष्ठाता एवं सम्बन्धित लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किये जाने के प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई है। अतः इस प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:24 विश्वविद्यालय द्वारा वाह्य संस्थाओं के कृषि रसायन (एग्रो केमिकल्स) का परीक्षण करने पर रू0 50,000.00 से रू0 1,00,000.00 का शुल्क लिये जाने के प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई है। अतः इस प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने भी सहमति प्रदान की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:25 औद्यानिकी महाविद्यालय में संचालित चक्रीय निधि, मेगा सीड परियोजना के खाता संख्या 11797433377 को बन्द कर अवशेष धनराशि को महाविद्यालय की बचत खाते में समायोजित करने तथा वानिकी महाविद्यालय की ICAR-NAIP परियोजना के खाता संख्या 3302000105031815 की धनराशि इन खातों के अब निष्क्रिय होने के कारण वानिकी महाविद्यालय के सामान्य खाते में स्थानान्तरण के प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई है। अतः अब इस प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने भी सहमति प्रदान की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:26 विश्वविद्यालय में आमंत्रित वाह्य परीक्षकों को रू0 1200/– प्रति लघु शोध प्रबंध (Thesis) मूल्यांकन करने हेतु तथा रू0 800/– प्रति मौखिक परीक्षा (Viva-voce) अनुमन्य करने हेतु प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई है। अतः इस प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परिषद् के विचारार्थ भी रखा गया जिस पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने भी स्वीकृति प्रदान करते हुए भविष्य में इस तरह के प्रस्तावों के पुनरीक्षण हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

प्रस्ताव सं0 2018:06:27 विश्वविद्यालय कार्यो हेतु आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञों के पूर्व निर्धारित मानदेय रू0 2,500/– के पुनर्निधारण के प्रस्ताव पर वित्त समिति में निम्न लिखित प्रस्ताव पारित हुआ है –

ग्रेड वेतन रू0 10,000/– = रू0 5,000/– प्रतिदिन
ग्रेड वेतन रू0 9,000/– = रू0 3,500/– प्रतिदिन
ग्रेड वेतन रू0 6,000/– से रू0 8,000/– = रू0 2,500/– प्रतिदिन

प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परिषद् ने भी स्वीकृति प्रदान की तथा यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में इस तरह के प्रस्तावों के पुनरीक्षण हेतु कुलपति ही अधिकृत होंगे।

प्रस्ताव सं0 2018:06:28 विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में विभिन्न प्रकार के मानदेय जो कि वर्ष 2012 में स्वीकृत थे वर्तमान समय में भी वर्ष 2012 की दरों पर प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी कार्य कराने में परेशानियों के मध्यनजर पुनर्निधारण की आवश्यकता है। इस हेतु बाह्य प्रवेश परीक्षा केन्द्रों/ समन्वयक प्रवेश परीक्षा/ परीक्षा केन्द्र प्रभारी आदि का मानदेय सम्बन्धी प्रस्ताव पर वित्त समिति ने पुर्ननिर्धारण पर सहमति व्यक्त की है।

प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परिषद् ने स्वीकृत करते हुए यह भी निर्देश दिए कि भविष्य में इस तरह के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव सं0 2018:06:29 विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् स्नातक / स्नातकोत्तर छात्रों हेतु प्रत्येक 03 वर्ष पश्चात् ट्यूशन फीस का 10% बढ़ाने के विद्या परिषद् के प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति व्यक्त की।

प्रस्ताव सं0 2018:06:30 विश्वविद्यालय में चलाये जा रहे ज्यादातर वाहन गो0ब0पं0 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समय से चल रहे हैं जिनमें अधिकतर वाहनों का पर्वतीय जिलों में चलाये जाने का परमिट समाप्त हो रहा हैं अतः वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी हेतु 01 बस (42 सीटर), 01 एम्बुलेंस, 02 बुलेरो वाहन तथा औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार हेतु 01 कैम्पर एवं 01 बुलेरो वाहन का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार महाविद्यालयों की बचत मद से किये जाने के प्रस्ताव पर वित्त समिति ने उत्तराखण्ड शासनादेशानुसार क्रय करने पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय में खराब हो चुके वाहनों की नीलामी करने के निर्देश भी दिए।

प्रस्ताव सं0 2018:06:31 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव।**

अन्य प्रस्तावों में राज्य स्तरीय सेवाओं में औद्यानिकी, वानिकी एवं कृषि को वरीयता दिए जाने के लिए वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के ऑनर्स छात्र–छात्राओं को वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित करने के निर्देश मा0 प्रबन्ध परिषद् द्वारा दिए गए।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं तदोपरान्त सदन की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

कुलसचिव / सदस्य सचिव, प्रबंध परिषद् **कुलपति / अध्यक्ष, प्रबंध परिषद्**